राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–(1–2) 1129/2015 व 1130/2015.......... जिला ....जयपुर..
....

उनवान : मैसर्स एम.जी.डी. उद्योग जयपुर बनाम (1) अपीलीय प्राधिकारी तृतीय वाणिज्यिक कर जयपुर (2) सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान–तृतीय, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/07/2015	खण्डपीठ श्री बी. के. मीणा, अध्यक्ष श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य अपीलार्थी द्वारा ये दो अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 22 एवं 23/अपील्स–तृतीय/स्थगन/2015–16 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 10.06.2015 के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। इन दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है। स्थगन प्रार्थना–पत्रों पर अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री जे. एन. शर्मा कर निर्धारण आदेश एवं अपीलीय आदेश का विरोध करते हुए स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। विभागीय प्रतिनिधि विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री डी. पी. ओझा ने कर निर्धारण आदेश एवं अपीलीय आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने पर बल दिया। उभयपक्ष की बहस सुनने, कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों तथा अपील व स्थगन आधारों पर विचार किये जाने के उपरान्त, **प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्रों को स्वीकार करते हुए मांग राशि क्रमशः **रूपये 12,65,091/–** एवं **रूपये 14,53,718/–** की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में उनके समक्ष लम्बित अपीलों का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें। उपरोक्तानुसार दोनों अपीलों का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। 24-7-2015 **सदस्य** **राजस्थान कर बोर्ड** **अजमेर** **अध्यक्ष** **राजस्थान कर बोर्ड** **अजमेर**	